घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा

चुप न रहे, घरेलू हिंसा पर रोक लगाए, आवाज उठाएं .....

संगिनी के बारे में .....

समाज में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव की स्थिति को बदलने के लिए नारीवादी विचारधारा की कुछ औरतों ने मिलकर संगिनी का गठन 2003 में किया। संगिनी के गठन के समय इसे महिलाओं के एक अनौपचारिक फोरम के रुप में ही विकसित किया गया जहॉ पर महिलाओं के साथ भेदभाव व उनके साथ हो रहीं हिंसा के बारें में आपसी चर्चा तथा कुछ पहल के लिए रास्तों को निकालने की बात सोची गई।

कालान्तर में समझ में आया कि इस प्रकार एक – एक मामलें को लेकर हस्तक्षेप करने से शायद बात नहीं बनेगी वरन् समस्या इतनी विकराल है कि इसके लिए व्यवस्थित सीधा हस्तक्षेप करना होगा। इस समय के साथ संगिनी को एक संस्था के रुप में पंजीकृत कराया गया और ठोस पहल के लिए प्रमुख रुप से निम्न क्षेत्रों को चुना गया–

- क्षमता वृद्वि
- सूचना व जानकारी का विस्तार
- लघु शोध
- महिला हिसां के मुद्वों पर अभियान व पैरवी
- महिला हिसां की घटनाओं में सीधा हस्तक्षेप
- समुदाय स्तर पर महिला मुद्दों के बारें में जागरूकता कार्यक्रम

वर्तमान में संगिनी उपरोक्त बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है और इसी के तहत् घरेलू हिंसा कानून को सरल रूप से लोगों तक पहुॅचाने के उद्देश्य से हम यह पुस्तक का प्रकाशन कर रहे है। उम्मीद है कि घरेलू हिंसा कानून को समझने में यह पुस्तक सहयोगी होगी।

अवधारणा

हिंसा समाज में पुरुष व महिला दोनों को सहनी पड़ती है। यद्यपि कुछ निश्चित तरह की हिंसा केवल महिलाओं के प्रति ही होती है। खासतौर पर लिंगभेद पर आधारित हिंसा। यह भारतीय समाज में सदियों से चले आ रहे पितृ सत्तात्मक सोंच व मूल्यों के अर्न्तगत महिलाओं पर नियंत्रण एवं उन्हें लैंगिक रुप से नीचा दिखाए जाने की पुरुषों की तरफ से घोषणा है। महिलाओं के प्रति हिंसा के विभिन्न प्रकार हैं जो कन्या के गर्भ में आने से प्रारम्भ होकर बुजुर्ग महिलाओं तक जारी रहती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारें में बात करने से पहले हम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारें में कुछ बात करते हैं। भारतीय समाज एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को मानने वाला समाज हैं जहां महिलाओं के साथ भेदभाव व असमानता एक सामान्य बात मानी जाती है। कई सारे अर्थो में तो यह असमानता हमारे जीवन व्यवहार में इतनी घुल मिल गई है कि सहज ही इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। इसे समाज ने अपने में समाहित कर लिया है। किन्तु यही भेदभाव महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के मूल जड़ के रुप में पहचाना गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं व पुरुषों के बीच ताकत व अधिकारों का गैर बराबरी पूर्ण बटवारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक प्रमुख कारक है। महिला व पुरुषों के बीच अधिकारों का यह भेदभाव पूर्ण विभाजन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, एवं पारिवारिक हर जगह पर नजर आता है और समाज, परिवार तथा समुदाय (जाति) में अपना स्थान बना लेता है।

महिलाओं के साथ हिंसा को एक ऐसी समस्या के रुप में पहचाना गया है जो सामाजिक लिंग भेद (जेण्डर) के कारण पुरुषों को मिलने वाले सांस्कृतिक अधिकारिता के कारण पैदा हुई है। एक पितृसत्तात्मक संस्कृति इस विश्वास को बल देती है कि पुरुष बेहतर है तथा उसके लिए स्त्री साथी की ओर से सेवा, सम्मान, स्वामिभक्ति, अधीनता तथा इन सेवाओं के बदले में महिलाओं के प्रति पुरुषों को हिंसा का अधिकार मिल जाता है। व्यक्त सम्बंधों में स्वतः ही पुरुषों को मिलने वाले ये अधिकार उन्हें महिलाओं पर सामाजिक रुप से नियत्रंण के रुप में दिखते हैं। महिलाओं पर हिंसा पित् सत्तात्मक

मूल्यों का प्रकटीकरण मात्र है, जो सांस्कृतिक मिथको से जुड़ी हुई है। जैसे बलात्कार को लेकर मान्यता है कि इसे चरित्रहीन स्त्रीयों द्वारा उत्साहित किया जाता है, घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला है आदि।

इधर के कुछ वर्षो में लोकतांत्रिक चेतना के साथ महिलाओं के साथ हो रही इस भेदभाव के ऊपर भी लोगों का ध्यान गया है। इस चेतना ने महिलाओं के साथ हर स्तर पर बरती जा रही असमानता के खिलाफ आवाज उठाई है। लोकतांत्रिक समझ यही कहती है कि हर नागरिक को समान अधिकार है कि वह अपने लोकतांत्रिक व मानव अधिकारों का उपयोग कर सके। इस के उपयोग में सबसे बड़ी बाधा यहीं आती है कि महिलाओं को हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जाहिर है जहां भेदभाव होगा वहां अधिकार की बात नहीं की जा सकती। महिला सशक्तिकरण एवं न्याय के रास्तें में यह एक बड़ी रुकावट है।

तो बात हम महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के बारें में कर रहें थे, जिसके पीछे भी स्पष्ट व बड़ा कारण महिलाओं के साथ बरती जा रही असमानता व भेदभाव ही है। इधर के कुछ वर्षो में भारत सहित विश्व की महिला संगठनों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं सहित संवेदनशील पुरुषों ने भी इस भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की है। सामाजिक रुप से लिंग आधारित इस भेद भाव को जेण्डर मुद्दें के रुप में भी पहचाना गया है। जिसे लेकर विगत् दो दशको के दौरान काफी चेतना का विकास हुआ है।

सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक व राजनीतिक रुप से महिलाओं को कमतर मानने की मानसिकता ने उनके ऊपर हिंसा को बढ़ावा दिया है। दूसरी तरफ पुरुष अपने अधिकार को महिला के उपर स्थापित करने के लिए भी हिंसा का सहारा लेते हैं।

ऐसी स्थिति में बदलाव के लिए सरकार सहित स्वैच्छिक प्रयास व सामाजिक संस्थाएं निरन्तर प्रयास कर रही है। हमारी परियोजना भी महिला सशक्तिकरण के अपने व्यापक संन्दर्भ में महिलाओं की हिंसा से मुक्ति को अपने काम का अहम हिस्सा मानती है। इस लिए महिला हिंसा के खिलाफ काम करना हमारे काम का ही एक हिस्सा है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

महिलाओं के अधिकार के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण कानून 13 सितम्बर 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया। यह कानून महिला अधिकारों काम करने वाले संगठनों के एकजुट प्रयासों से 26 अक्टुबर 2006 से पूरे देश में प्रभावी हो गया। इस कानून का उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को तत्काल राहत पहुँचाना है।

इस अधिनियम की धारा तीन में घरेलू हिंसा की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है। जिसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा अभियुक्त द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य / कृत्य है –

- जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग अथवा भलाई के प्रति क्षति या खतरा, चाहे मानसिक अथवा शारीरिक रुप से करना या ऐसा प्रयास करना जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार आते हैं।
- पीड़ित व्यक्ति को हतोत्साहित करना, क्षति पहुँचाना, संकट में डालना, जानबूझ कर पीड़िता या उसके किसी संबंधित को पीड़ित करना कि वह किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अनुचित / अवैध मांग को पूरा करें।
- कोई ऐसा व्यवहार जो कि पीड़ित या उससे संबंधित व्यक्ति को भयग्रस्त करें।
- पीड़ित व्यक्ति को क्षति, चाहे शारीरिक हो या मानसिक पहुँचाता हो।

पीड़ित व्यक्ति से अर्थ –

अधिनियम की धारा 2 ए के अनुसार पीड़ित व्यक्ति से आशय कोई ऐसी महिला है जो प्रत्यर्थी / प्रतिवादी / जवाबदाता के साथ घरेलू संबंधों में हो या रह चुकी है, और यह आरोप लगाती हो कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की गई हो। यहां पीड़ित व्यक्ति के रुप में पत्नी,

मॉ, पुत्री, बहन, दूसरी पत्नी या कोई महिला जो किसी पुरुष से पारिवारिक संबंध रखती है।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी/जवाबदाता से अर्थ –

अधिनियम की धारा 2 क्यू के अनुसार कोई वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति से घरेलू संबंध रखता हो या रख चुका हो और उसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने कोई मदद चाही हो, उसे प्रत्यर्थी माना जाएगा। जैसे पिता, भाई , पुत्र, पति या पीड़ित व्यक्ति का कोई रिश्तेदार जिसके साथ वह पारिवारिक संबंधों में रह चुकी है।

घरेलू नातेदारी से अर्थ –

अधिनियम की धारा 2 एफ के अनुसार "दो व्यक्तियों के बीच का ऐसा संबंध से है जहां वे घर में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं या वे रक्त संबंध या विवाह की प्रकृति के संबंध, दत्तक या संयुक्त परिवार के सदस्य की भाति एक साथ रहते हों। घरेलू नातेदारी में –

- विवाह के संबंध,
- रक्त संबंध जिसका अर्थ है खून के रिश्ते के लोग तथा ऐसा संबंध औरत व मर्द बिना विवाह के पति–पत्नी की तरह रहते हों। यह कानून बहु–विवाह के मामलों में भी लागू होगा, यानि ऐसा विवाह जिसमें पुरुष पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह करता है।
- संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्य
- गोद प्रथा द्वारा उपजा संबंध

साझी गृहस्थी से अर्थ–

इस कानून में वैवाहिक घर की बजाए साझी गृहस्थी शब्द का प्रयोग समस्त घरेलू संबंधों को मान्यता देने के लिए किया गया है। यह सिर्फ विवाहित पत्नी पर ही लागू नहीं होता बल्कि ऐसी महिला पर भी लागू होता है जो किसी पुरुष के साथ घरेलू संबंधों के अन्तर्गत

रह रही हो। अधिनियम की धारा 2 एस के अर्न्तगत साझी गृहस्थी के बारें में कहा गया है कि–

- एक ऐसा घर जिसमें पीड़िता रहती है या घरेलू संबंधों के अर्न्तगत रही थी (चाहे अकेले या प्रत्यर्थी के साथ)।
- इसके अर्न्तगत वे घर आते हैं जो प्रत्यर्थी के अकेले पीड़िता के साथ संयुक्त रुप से या किराए के या खुद के हो।
- यह संयुक्त परिवार का घर भी हो सकता है।

साझी गृहस्थी का अधिकार –

इस अधिनियम की धारा 17 के अर्न्तगत प्रत्येक महिला जो पारिवारिक संबंधों के अर्न्तगत रहती है उसके पास सहभागी गृहस्थ घर में रहने का अधिकार रहता है चाहे उसके पास उस स्थान के प्रति कोई अधिकार या कोई हिस्सेदारी हो या नहीं हो। पीड़िता को साझी गृहस्थी में प्रत्यर्थी द्वारा निकाला या अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पीड़िता को अधिकार है कि वह न्यायालय से इसके विरुद्ध आदेश प्राप्त कर सकती है। औरत ऐसी स्थिति को रोकने का आदेश, घर से निकाले जाने से बचाव का आदेश न्यायालय से प्राप्त कर सकती है।

अक्सर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां वे जा सके या रह सके। एक बार उसे, उसके साथी या पति द्वारा घर से निकाल दिया जाता है तो वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह घर या तो किराए का होता है या पुरुष के नाम होता है। ऐसे में साझी गृहस्थी का अधिकार महिलाओं को वे घर होने व सड़क पर आने से सुरक्षा प्रदान करता है। जहां से वह अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है।

शिकायत किससे करें, कहां करें व कैसे करें –

इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकता है। इस कानून के अन्तर्गत अच्छे विचार के साथ की गई किसी भी शिकायत को करने के लिए बचाव का प्रावधान किया गया है। यहां बचाव से अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी घरेलू हिंसा को जानकारी में लाता है

उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। आम तौर पर जो कोई भी किसी अपराध के बारें में शिकायत करता है उसे थाने कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है लेकिन इस कानून के तहत इस प्रकिया से शिकायतकर्ता का बचाव किया गया हैं।

मध्यप्रदेश में इस कानून के जमीनी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 29 जून 2008 से उषा किरण योजना लागू की है। इस योजना के तहत समाज के महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, शारीरिक, मानसिक भावानात्मक, या आर्थिक व उनके साथ किये जाने वाला व्यवहार जिससे उनकी स्वतन्त्रता का हनन हो, इस सबसे संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला व बच्चा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में संरक्षण अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति की गई है। मध्यप्रदेश में **संरक्षण अधिकारी** के रुप में महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त स्वतंत्र व्यक्ति **संरक्षण अधिकारी** की भूमिका निभा रहें है। जो–

- मजिस्ट्रेट को उसके कार्यो के निर्वहन, सम्पादन में सहयोग।
- घरेलू घटना रिर्पोट तैयार करवाना।
- साथ ही साथ घरेलू घटना रिर्पोट की प्रति संबंधित थाना, सेवा प्रदाता व व्यथित व्यक्ति को देना।
- ऐसे कार्यो को सम्पादित करना जो मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गए हो।
- साथ ही साथ पीड़िता को चिकित्सा संबंधी सहायता, कानूनी सहायता आश्रय गृह में रहने का अधिकार, सुरक्षा उपलब्ध कराना।

सेवा प्रदाता –

मध्यप्रदेश में पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र व गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रुप में मान्यता दी गई है। जो कि पीड़िता को कानूनी सहायता, आश्रय, चिकित्सा व आर्थिक मदद का कार्य करेगें। सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी व मजिस्ट्रेट के साथ सम्पर्क में रह कर कार्य करेगें।

यह शिकायत स्थानीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास सीधे भी की जा सकती है

इस अधिनियम के तहत् प्राप्त की जाने वाली सहायताएं निवास आदेश–

इसके तहत -

- प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से पीड़िता को बाहर निकालने से रोका जा सकता है।
- प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को ऐसे स्थानों पर जाने से रोकना जो कि पीड़िता को असुरक्षित करते हों।
- प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी बेचने या समाप्त करने से रोकना।
- यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी को पीड़िता के लिए बदले में उसी तरह के आवास की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करना।

आर्थिक मदद –

पीड़िता के उत्तरदायित्वों व सहे गए नुकसानों या पीड़िता के बच्चें/बच्चों द्वारा घरेलू हिंसा के कारण सहे गए नुकसानों की भरपाई के लिए निर्देश दिया जा सकता है।

संरक्षण अधिकार–

- पीड़िता को, बच्चें/बच्चों को अल्पकालिक संरक्षण दिए जा सकते हैं।
- यदि बच्चों के हित में हो तो प्रत्यर्थी को मिलने का अधिकार दिया जा सकता है।

र्जानें का अधिकार–

प्रत्यर्थी को पीड़िता को हुए मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक कष्ट ो प्रत्यर्थी के कार्यो से हुआ है, के लिए हर्जाना देने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है।

परामर्श देना–

मजिस्ट्रेट के पास विवेकाधीन अधिकार होता है कि वह पीड़िता या प्रत्यर्थी को अकेले–अकेले अथवा साथ में परामर्श विशेषज्ञ से परामर्श के लिए निर्देशित कर सके।

मध्यप्रदेश मे महिला एवं बाल विकास विभाग को इस कानून के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया गया है ।

महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे मे संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्घोषणा

ऐसा कोई भी कार्य जिसमें लिंग आधारित हिंसा हो और उसका परिणाम अथवा संभावित परिणाम महिलाओं की शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक परेशानी या नुकसान हो। इसके अर्न्तगत महिला के साथ समाज में या अकेले में घटित होने वाली बलपूर्वक हिंसा या स्वैच्छा से स्वतंत्रता का हनन करने वाली धमकी शामिल है।

महिलाओं के प्रति हिंसा को परिवार अथवा समाज में होने वाली शारीरिक, लैंगिक व मानसिक हिंसा से समझना चाहिए किन्तु इन्हें इन्हीं बिन्दुओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें मारपीट, बच्चियों का यौन शोषण, दहेज से संबंधित प्रताड़ना, वैवाहिक बलात्कार, स्त्री जनांनगों की काट–पीट और दूसरे परम्परागत कार्या जो महिलाओं के लिए नुकसानदेह हैं आते हैं। गैर विवाहित युगल हिंसा, स्वार्थ प्रेरित हिंसा, यौन पीड़ा देना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लिंग आधारित हिंसा, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में हो या अन्य स्थान पर, महिलाओं का व्यापार, जबरदस्ती देह व्यापार और राज्य द्वारा क्षमा प्राप्त महिला अपराधी के प्रति की जाने वाली हिंसा इसमें शामिल है।

प्रारूप - 1

(नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17 (3) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (2005 का 43) की धारा 9(ख) और धारा 37 (2) (ग) के अधीन घरेलू घटना की रिपोर्ट

1. परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे :
   1. परिवादी/व्यथित व्यक्ति का नाम:
   2. आयु:
   3. साझी गृहस्थी का पता:
   4. वर्तमान पता:
   5. दूरभाष नं. यदि कोई हो:
2. प्रत्यथियों के ब्यौरे :

क्रम सं	नाम	व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नं. यदि कोई हो

3. व्यथित व्यक्ति की संतानों के, ब्यौरे यदि कोई हों
   (क) सन्तानों की संख्या :
   (ख) सन्तानों के ब्यौरे :

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे है।

4. घरेलू हिंसा की घटनाएं:

क्रम सं.	हिंसा की तारीख स्थान और समय	यह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसाकारित की	घटना का प्रकार	टिप्पणी
			शारीरिक हिंसा	
			किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	
1.	2.	3.	4.	5.
(अ) लैंगिक हिंसा कृपया लागू होने वाले स्तम्भ के सामने () चिन्हित करें।				
			✦ बलपूर्वक मैथुन ✦ अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना। ✦ आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना	

1.	2.	3.	4.	5.
			✦ लैंगिक प्रकृति का, दुर्व्यवहार अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना (कृप्या नीचे दिये गये खाली स्थान में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करे)	
(ब) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार				
			✦ चरित्र या आचारण आदि पर अभियोग / कंलक लगाना ✦ दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना। ✦ पुरूष सन्तान न होने हेतु अपमान करना। ✦ कोई सन्तान न होने हेतु अपमान करना। ✦ अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियॉ / कथन करना ✦ उपहास करना। ✦ निन्दा करना। ✦ आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना। ✦ आपको नौकरी करने से रोकना ✦ घर से बाहर जाने से रोकना ✦ किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना। ✦ अपनी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने पर बल देना। ✦ अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से निवारित करना। ✦ आपको उसकी / उनकी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना। ✦ कोई अन्य मौखिय या भावनात्मक दुव्यवहार करना (कृप्या नीचे दिये गये खाली स्थान में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करे)	

(स) आर्थिक बल प्रयोग

1.	2.	3.	4.	5.
			✦ आपको या आपकी संतान को भरण पोषण के लिए धन न देना। ✦ आपको या आपकी संतान को खाना, कपड़े दवाईयॉ आदि उपलब्ध करवाना। ✦ घर से बाहर रहने के लिए मजबूर करना। ✦ आपको आपकी नौकरी करने से निवारित किया जा रहा है या उसमें वाधा डाली जा रही है। ✦ नौकरी करने की अनुज्ञा न देना ✦ भाड़े पर ली गई वास–सुविधा की दशा में भाड़ा न देना। ✦ कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी के उपयोग की वस्तुओं की अनुज्ञा न देना। ✦ आपको सूचित किए बिना और आपकी अनुमति के बिना स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बंधक रख देना। ✦ आपका वेतन, आय या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना। ✦ स्त्रीधन का व्ययन करना। ✦ बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना। ✦ कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग। (कृप्या नीचे दिये गये खाली स्थान में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	

1.	2.	3.	4.	5.

(द) दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न

			✦ दहेज के लिए की गई मांग कृप्या विनिर्दिष्ट करें। ✦ दहेज से सम्बंधित कोई अन्य ब्यौरा कृप्या विनिर्दिष्ठ करें। ✦ क्या दहेज की मदें, स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्रारूप के साथ संलग्न हैं ✦ हॉ ✦ नहीं	

(घ) आपके या आपकी सन्तानों के विरूद्ध घरेलू हिंसा से सम्बंधित कोई अन्य सूचना

(परिवादी/व्यथित व्यक्ति के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5. सलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र		
चिकित्सक प्रमाणपत्र या कोई अन्य नुख्सा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज		

6. यह आदेश, जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है

क्र.सं.	आदेश	हॉ/नही	कोई अन्य
1.	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
2.	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
3.	धारा 20 के अधीन भरणपोषण को आदेश		
4.	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
5.	धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश		
6.	कोई अन्य ओदश (विनिर्दिष्ट करें)		

7. किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश :

जहॉ कंही इस प्ररूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दण्ड संहिता या कियी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है वहॉ पुलिस अधिकारी –

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दण्ड प्रक्रिया संहिता1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दाण्डिक कार्यवाहियॉ प्रारम्भ कर सकता है।

(ख) यदि व्यथित व्यक्ति दाण्डिक कार्यवाहियॉ प्रारभ करना नहीं चाहती है तो घरेलू हिंसा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित, अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के सम्बन्ध उपाय जारी रखना चाहती है और उससे यह अनुरोध किया है

कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले को, किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समूचित जॉच के लिए लम्बित रखा जाए।

(ग) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई है उसे तुरन्त चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जॉच की जाएगी।

(अभियोजन अधिकारी / सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)

स्थान
तारीख

नाम
पता
(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई–

1. स्थानीय पुलिस थाना
2. सेवा प्रदाता / अभियोजन अधिकारी
3. व्यथित व्यक्ति
4. मजिस्ट्रेट

प्रारूप - 2

(नियम 6 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (2005 का 43)
की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,

मजिस्ट्रेट न्यायालय

.....

.....

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
(2005 का 43) की धारा ..... के अधीन आवेदन

यह दर्शित किया जाता है

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा ..... के अधीन घरेलू घटना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाईल किया जा रहा है :–
   (क) व्यथित व्यक्ति
   (ख) संरक्षण अधिकारी
   (ग) व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति
   (जो लागू हो उसे चिन्हित करें)
2. यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय परिवाद / घरेलू घटना रिपोर्ट का संज्ञान लें और ऐसे सभी या कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए।
   (क) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करे और / या
   (ख) धारा 19 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करे और / या
   (ग) धारा 20 के अधीन अनुतोष अनुरोध संदाय करने को प्रत्यर्थी को निर्देश दे और / या
   (घ) धारा 21 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करे और / या
   (ड.) धारा 22 के अधीन प्रतिकार या नुकसानी प्रदत्त करने हेतु प्रत्यर्थी को निदेश दे और / या
   (च) ऐसे कोई अंतरिम आदेश पारित करे जो न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे
   (छ) कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए।

3. अपेक्षित आदेश :

(1) धारा 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेश

- ✦ आवेदन के स्तम्भ 4 (क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ड.)/(च)/(छ) के निबन्धनानुसार वर्णित किसी कार्य की पुनरावृति को रोकने के लिए प्रत्यर्थी के विरूद व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्यो को प्रतिषिद्ध करना।
- ✦ प्रत्यर्थी को विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यस्थल पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना।
- ✦ आपको आपकी नौकरी के स्थान पर जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना ।
- ✦ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) के आपकी सन्तानों के विद्यालय/महाविद्यालय, किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने को प्रतिषिद्ध करना।
- ✦ प्रत्यर्थी द्वारा आस्तियों को अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करना।
- ✦ प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त बैक लॉकर/खातों के प्रचालन को प्रतिषिद्ध करना और व्यथित व्यक्ति को उसके प्रचालन की अनुज्ञा देना।
- ✦ प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के आश्रितों/सम्बन्धियों/किसी अन्य व्यक्ति से, उनके विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए, दूर रहने का निदेश देना।
- ✦ कोई अन्य आदेश,कृपया विनिर्दिष्ट करें–

(2) धारा 19 के अधीन निम्नलिखित निवास आदेश

- ✦ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,
- ✦ मुझे साझी गृहस्थी से बेदखल करने या बाहर निकालने से रोकने का आदेश
- ✦ साझी गृहस्थी के उस भाग में, जिसमें मैं निवास करती हूँ प्रवेश करने का आदेश
- ✦ साझी गृहस्थी के अन्य संक्रामण/व्ययन/विल्लंगम को रोकने का आदेश
- ✦ साझी गृहस्थी से उसके अधिकार का त्यजन
- ✦ मेरे निजी चीजबस्त तक पहूँच जारी रखने का हकदार बनाने का आदेश
- ✦ प्रत्यर्थी (प्रत्यथियों) को,
  - उसे साझी गृहस्थी से हटाने
  - उसी स्तर को वैकल्पिक वास सुविधा उपलब्ध करवाने या उसके लिए किराये का संदाय करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश।
- ✦ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(3) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

- ✦ उपार्जनों की हानि की बाबत् दावा की गई रकम
- ✦ चिकित्सीय खर्चो की बाबत् दावा की गई रकम
- ✦ व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि की बाबत् दावा की गई रकम

- ✦ खण्ड 10 (घ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शाारीरिक या मानसिक उपहति दावा की गई रकम
- ✦ कुल दावा की गई रकम
- ✦ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(4) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

- ✦ प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का निदेश देना :
- ✦ खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ

प्रतिमास रूपये

विद्यालय की फीस और उससे सम्बन्धित अन्य खर्च प्रतिमास

प्रतिमास रूपये

गृहस्थी के खर्चे प्रतिमास रूपये

कोई अन्य व्यय प्रतिमास रूपये

कुल प्रतिमास रूपये

- ✦ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(5) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा अनुतोष

प्रत्यर्थी को सन्तान या सन्तानों की अभिरक्षा –

व्यथित व्यक्ति को,

उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा को,

सौपने का निर्देश देना

(6) धारा 21 के अधीन प्रतिकर

(7) कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

4. पूर्व मुकद्मेवाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(क) के न्यायालय में भारतीय दण्ड सहिंता की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(ख) के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(ग) के न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(3) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

- ✦ उपार्जनों की हानि की बाबत् दावा की गई रकम
- ✦ चिकित्सीय खर्चो की बाबत् दावा की गई रकम
- ✦ व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि की बाबत् दावा की गई रकम

- ✦ खण्ड 10 (घ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शाारीरिक या मानसिक उपहति दावा की गई रकम
- ✦ कुल दावा की गई रकम
- ✦ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(4) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

- ✦ प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का निदेश देना :
- ✦ खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ

प्रतिमास रूपये

विद्यालय की फीस और उससे सम्बन्धित अन्य खर्च प्रतिमास

प्रतिमास रूपये

गृहस्थी के खर्चे प्रतिमास रूपये

कोई अन्य व्यय प्रतिमास रूपये

कुल प्रतिमास रूपये

- ✦ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(5) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा अनुतोष

प्रत्यर्थी को सन्तान या सन्तानों की अभिरक्षा –

व्यथित व्यक्ति को,

उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा को,

सौपने का निर्देश देना

(6) धारा 21 के अधीन प्रतिकर

(7) कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

4. पूर्व मुकद्मेवाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(क) के न्यायालय में भारतीय दण्ड सहिंता की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(ख) के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(ग) के न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(घ) के न्यायालय में हिन्दु दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(ड.) अधिनियम की धारा ..... के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन

अन्तरिम भरण पोषण रू. प्रतिमास

स्वीकृत भरण पोषण रू. प्रतिमास

(च) क्या प्रत्यर्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था

एक सप्ताह से कम के लिए

एक माह से कम के लिए

एक मास से अधिक के लिए

कृपया अवधि विनिर्दिष्ट करें।

(छ) कोई अन्य आदेश

प्रार्थना –

अतः आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इसमें दावा किए गए अनुतोष (अनुतोषों) स्वीकृत करें और कोई ऐसा ओदश/ऐसे आदेश पारित करे जो माननीय न्यायलय मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिए और न्याय हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान
तारीख

परिवादी / व्यथित व्यक्ति
मार्फत
काउंसेल

सत्यापन :

तारीख ..... को ..... (स्थान) पर यह सत्यापित किया गया है कि उपयुक्त आवेदन के पैरा 1 से 12 की अन्तर्वस्तुएं मेरे ज्ञान में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख सहित

प्रारूप - 3

(नियम 6 (4) और तियम 7 देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का धारा 23 (2)

के अधीन शपथपत्र

न्यायालय ..... एमएम .....

पुलिस थाना .....

.....के मामले में

सुश्री ..... और अन्य .... परिवादी

बनाम

श्री ..... और अन्य .... प्रत्यर्थी

शपथपत्र

मै .....

पत्नी श्री .....

निवासी .....

पुत्री श्री .....

निवासी .....

वर्तमान में .....

से प्रतिज्ञान करती हूँ और शपक्ष यह घोषण करती हूँ कि

1. मैं, अपने स्वयं और मेरी पुत्री/पुत्र के ..... लिए फाईल किए गए संलग्न आवेदन में आवेदक हूँ।
2. मैं ..... की नैसर्गिक संरक्षक हूँ।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित होने के कारण मक इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ।
4. अभिसाक्षी ..... पर प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के साथ ..... से ..... तक रही थी।
5. धारा (धाराओं) ..... के अधीन अनुतोष प्रदान करने के लिए वर्तमान आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे द्वारा/मेरे अनुदेशों पर दर्ज किए गए है।
6. मुझे आवेदन की अन्तर्वस्तुओं को अंग्रजी/हिन्दी किसी अन्य स्थानीय भाषा (कृप्या विनिर्दिष्ट करें) में पढ़कर सुना दी गई हैं और उन्हें स्पष्ट कर दिया है।
7. उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तुओं को इस शपथपत्र के भागरूप में पढ़ा जाए

और संक्षिप्तता के लिए उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।

8. आवेदक को प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा घरेलू हिंसा के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति की आशंका है जिसके विरूद संलग्न आवेदन में अनुतोष चाहा गया है।
9. प्रत्यर्थी ने आवेदन की घमकी दी है कि .....

.....

.....
10. सलग्न आवेदन में मांगे गए अनुतोष अतिआवश्यक हैं क्योंकि यदि एक पक्षीय अन्तरिम आधार पर उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किए जाते है तो आवेदक को अत्याधिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना होगा और उसे प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा किए गए जा रहे उस घरेलू हिंसा के कार्यो की पुनरावृत्ति/उनके बढ़ने के खतरे में रहने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके बारे में द्वारा संलग्न आवेदन में शिकायत की गई है।
11. इसमें वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और इसमें से कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

तारीख ..... मास ..... 20 .... को ..... में सत्यापित किया गया।

उपयुक्त शपक्षपत्र को अन्तर्वस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षर

(नोट – याद रहे यह सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।)

घरेलु हिंसा रोकथाम में सहायक सरकारी गैर सरकारी संस्थाए -

<u>घरेलु हिंसा के तहत कार्यरत संरक्षण अधिकारी</u>

अवधेश प्रताप सिहं	–	9907935666
गणेश ठाकुर, फंदा	–	9893067055
शाहीन खान जे पी नगर	–	9425370968
सुमन पिल्ले बैरसिया	–	8349192240
सत्यशुभ मिश्रा बरखेडी	–	9425006832
राहुल दत्त मोतिया पार्क	–	9425463190
नंदिता मिश्रा	–	9893006047
आलोक श्रीवास्तव	–	9425451641
ज्ञानेश खरे	–	9425138406

महिला बाल विकास/ हेल्पलाइन/ आयोग /आश्रय केंद्र/ आपात कालीन सेवा

आपात कालीन सेवा	–	100,108
पुलिस कंट्रोल रुम	–	2555922
महिला हेल्प लाइन	–	1091, 2420026
महिला बाल विकास विभाग	–	2548599
(सयुक्त निर्देशक)	–	9425985344
मानव अधिकार आयोग	–	2572034
महिला आयोग	–	2661802
विधिक सहायता प्रकोष्ठ	–	2010065
महिला आश्रय केंद्र (समीरा संवेदना संस्था)	–	9425602635
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संस्था	–	8989873136

किसी के भी साथ या अपने साथ घरेलू हिंसा होने पर चुप न रहें, आवाज उठायें मदद के लिए हमसे सम्पर्क करें

संगिनी महिला हेल्पलाईन, जी 3/385, गुलमोहर कालोनी, भोपाल फोन 0755-4276158

Towards Gender Equality

हाँ,
हम घरेलू हिंसा
का विरोध करते हैं
और आप . . . ?

प्रकाशन - संगिनी जेन्डर रिर्सोस सेन्टर म.प्र.

सन्दर्भ सामग्री - प्रार्थना मिश्रा, अंजनी

सम्पादन - सुनील कोड़ापे

सहयोग - ग्लोबल फंड फॉर वुमेन्स

संगिनी जेन्डर रिर्सोस सेन्टर म.प्र.

पंजीकृत कार्यालय - 113, वायॅसराय पार्क,

ई-8 एक्स., अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय - जी 3/385, गुलमोहर कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

☎ - 0755 4276158 ई-मेल : sangini_center@rediffmail.com